

काउन्सलिंग दिशा-निर्देश (Counselling Guidelines)

1. केवल वही अभ्यर्थी जिन्हें B.Ed. J.E.E. 2022-24 की वरीयता सूची में रैंक आवंटित किया गया है काउन्सलिंग में प्रतिभाग करने के लिए पात्र हैं। बी0एड0 2022 आनलाईन काउन्सलिंग के लिए कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। विस्तृत काउन्सलिंग कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की वेबसाइट www.mjpru.ac.in पर प्रदर्शित किया जायेगा।
Only those candidates who have been allotted a rank in the U.P. B.Ed. J.E.E. 2022-24 Merit List are eligible to participate in counselling. The schedule for J.E.E. B.Ed. 2022 online counselling shall be declared later. Detailed counselling schedule would be displayed on the official website of Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly (www.mjpru.ac.in).
- 1.1 **काउन्सलिंग चक्र**
Counselling Rounds
 - 1.1.1 मुख्य काउन्सलिंग (चक्र-1) : फेज-1, 2, 3 एवं 4
Main counseling (Round 1) : Phase - 1, 2, 3 & 4
 - 1.1.2 पूल काउन्सलिंग (चक्र-2)
Pool counselling (Round 2)
 - 1.1.3 सीधा प्रवेश (चक्र-3)
Direct admission (Round 3)
 - 1.1.4 अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश (चक्र-4)
Direct admission on Minority seats (Round 4)
- 1.2 **काउन्सलिंग में भाग लेने के लिए आवश्यकताएँ**
Requirements for Participation in Counselling

नोट: काउन्सलिंग के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होगी

Note : The following documents would be required for registration for counseling

- 1.2.1 शुल्क की वापसी (यदि कोई हो) के लिए बैंक खाते का विवरण।
Bank Account Details for refund of fees (if any).
- 1.2.2 यह खाता केवल अभ्यर्थी या उसके पिता या माता के नाम पर ही होना चाहिए।
The account should be in the name of the Candidate or his/her Father or Mother only.
- 1.2.3 यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं हो पाती है, तो पहली काउन्सलिंग में अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई अग्रिम फीस या पूल काउन्सलिंग में पूर्ण कालेज शुल्क की वापसी इस खाते में की जायेगी।
In case the candidate is not allotted a seat, the advance college fee paid in first counselling and full college fee paid in pool counselling would be refunded into this account only.



काउन्सलिंग दिशा-निर्देश (Counselling Guidelines)

- 1.2.4 अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे फीस वापसी हेतु अपने जनधन खाते का विवरण कदापि न भरें क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खाते में शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाती है।
Candidates are advised not to submit their Jandhan account details for fee refund as due to the credit limit refunds to such accounts will not be possible.
- 1.2.5 अभ्यर्थी को अपना निम्नांकित विवरण देना है :
Information needed
- 1.2.5.1 खाता संख्या
Account number
- 1.2.5.2 खातेदार का नाम
Name of Account holder
- 1.2.5.3 आई.एफ.एस.सी. कोड
IFSC code
- 1.2.5.4 बैंक का नाम
Bank name
- 1.2.5.5 शाखा
Branch
- 1.2.5.6 नोट : अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की अथवा निरस्त किए गए चेक-लीफ की इमेज को अपलोड करना है, जिसमें उपर्युक्त विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हो। इमेज 100 kb के आकार में JPG/JPEG प्रारूप में हो।
Note: Candidate has to upload image (in JPG/JPEG format, size of 100 KB) of cancelled cheque leaf or front page of passbook where above mentioned account details are available.
- 1.3 अर्हक परीक्षा 2022 में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
For candidates appearing in qualifying examination 2022.
- 1.3.1 जो अभ्यर्थी 2022 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें काउन्सलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंकतालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
It is mandatory for those candidates who have appeared in eligibility qualifying examination in 2022 have to upload their qualifying examination mark sheet at the time of counselling registration. For this they would require a scanned copy of mark sheet of qualifying examination in case appearing in 2022.
- 1.3.2 केवल मूल अंकतालिका ही स्वीकार की जायेगी।
Only original mark sheet will be accepted
- 1.3.3 कोई भी प्रोविजनल/इंटरनेट मार्कशीट तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि वह सम्बन्धित कालेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/परीक्षा नियन्त्रक/अधिकृत पदधारक द्वारा सत्यापित न हो।
No provisional / internet mark sheet will be accepted unless it is verified by Principal of the concerned college or Registrar/Controller of Exam/Authorised person of the concerned University

काउन्सलिंग दिशा-निर्देश (Counselling Guidelines)

2. पहली काउंसलिंग (राउंड-1)
FIRST COUNSELLING (ROUND 1)

2.1 चरण 1: पंजीकरण
Step 1: Registration

2.1.1 स्टेट रैंक के आधार पर काउन्सलिंग को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जायेगा। केवल घोषित स्टेट रैंक सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थी ही उस चरण में भाग ले सकेंगे। विस्तृत चरणवार कार्यक्रम काउन्सलिंग से पहले घोषित किया जाएगा।

The counselling would be divided into different phases on the basis of state rank. Only candidates falling within the announced state rank range would be able to participate in that particular phase. The detailed phase wise schedule would be declared before the counselling.

2.1.2 अभ्यर्थी को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि वे पासवर्ड भूल गए हैं तो वे वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
Candidates have to login using their login detail. In case they have forgotten the password they can regenerate it through the link provided on the website.

2.1.3 काउन्सलिंग शुल्क और अग्रिम कालेज शुल्क भुगतान
Counselling fee and Advance College fee payment

2.1.4 पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को रूपये 5650/- (काउन्सलिंग शुल्क के रूप में 650 रूपये और अग्रिम कालेज शुल्क के रूप में 5000 रूपये) का भुगतान केवल आनलाइन मोड (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से करना होगा।

Candidates who have completed registration process have to pay Rs. 5650 (Rs. 650 as counselling fee and Rs. 5000 as advance college fee) through online modes (Net banking, Debit Card and Credit Card) only.

2.1.5 यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो कालेज की अग्रिम फीस रु 5000/- उनके द्वारा विवरण में दिए गए खाते में वापस कर दी जायेगी।

In case the candidate is not allotted a seat the advance college fee of Rs. 5000 would be refunded into the account details provided by them.

2.1.6 यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है, यद्यपि वह इसकी पुष्टि नहीं करता है तथा उस कालेज में प्रवेश नहीं लेता है, तो कालेज की अग्रिम फीस रु. 5000/- वापस नहीं की जायेगी।

If the candidate is allotted a seat and he/she does not confirm it, the advance college fee of Rs. 5000 will not be refunded.

2.1.7 यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है और वह इसकी पुष्टि करता है तो यह राशि कालेज शुल्क में समायोजित की जाएगी।

If candidate is allotted seat and he/she confirms it this amount will be adjusted in the college fee.

2.1.8 यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि महाविद्यालय से वापस की जायेगी।

If the advance college fee is more than the fee of the allotted college the excess amount will be refunded from the allotted college.

काउन्सलिंग दिशा-निर्देश (Counselling Guidelines)

- 2.1.9 काउन्सलिंग शुल्क रुपये 650/- नॉन रिफंडेबल है।
The counselling fee of Rs. 650 is non refundable.
- 2.2 चरण 2 : विकल्प भरना
Step 2 : Choice Filling
- 2.2.1 केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही विकल्प भर सकेंगे।
Only registered candidates will be able to fill the choices.
- 2.2.2 च्वाइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थी को निम्नलिखित विवरण को सत्यापित करना होगा।
Before choice filling the candidates have to verify the following
- 2.2.3 संस्कृत बी०एड० महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक के तीनों (3) वर्षों में संस्कृत है तो अभ्यर्थी को हाँ का चयन करना होगा।
For choice in Sanskrit B.Ed. Colleges, Candidate has to select "Yes" If the candidate has Sanskrit in their all three (3) years of graduation.
- 2.2.4 अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में भरे अपने लिंग (Gender) को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प। डिफाल्ट रूप से यह उस विकल्प पर सेट होता है जिसे उन्होंने आनलाइन आवेदन पत्र में भरा है।
Option to correct their gender in case it is incorrect. By default this is set on the option they have filled in the online application form.
- 2.2.5 काउन्सलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पंसद के अनुसार अपने विकल्प भरने होंगे।
Candidates registered for counselling have to fill their choices according to their preferences.
- 2.2.6 अभ्यर्थी जितने चाहें उतने विकल्प दे सकते हैं।
Candidates can give as many choices as they want.
- 2.2.7 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिक विकल्प दें।
Candidates are advised to give more choices to avoid rejection in allotment.
- 2.2.8 अंतिम सबमिशन तक विकल्पों का पूर्वावलोकन और पुनर्व्यवस्थापन किया जा सकता है।
Choices can be previewed and rearranged any number of times till final submission.
- 2.2.9 विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉग-आउट करने से पहले इन विकल्पों को सेव करते रहना चाहिए। जो डेटा सेव नहीं किया गया है वह समाप्त हो जायेगा और उसे पुनः भरना पड़ेगा।
Choices can be filled in multiple sessions. There is option to save these choices before logging out. Data not saved will be lost.
- 2.2.10 अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम हैं और एक बार लॉक होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। इस प्रकार, अपने स्वयं के हित में, अभ्यर्थियों को वरीयता के आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक संख्या में कालेज के विकल्प को भरना होगा।
The choices filled by the candidate are final and cannot be changed once locked. Thus in their own interest, candidates must fill in a sufficiently large number of choices of college in required order of preference.

काउन्सलिंग दिशा-निर्देश (Counselling Guidelines)

- 2.2.11 यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प जमा कर दिया है, लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक लॉक नहीं करता है, तो यह सीट आवंटन से पहले स्वतः लॉक हो जाएगा।
If a candidate has submitted the choices but not locked till the last date of choice filling is over, it will automatically be locked before seat allotment.
- 2.3 चरण 3: कॉलेज आवंटन
Step 3: College Allotment
- 2.3.1 कालेज आवंटन नियमानुसार अभ्यर्थी के राज्य रैंक (State Rank) के साथ-साथ काउन्सलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने गए कालेजों के आधार पर किया जाएगा।
College allotment will be done strictly on the basis of state rank of the candidate as well as the colleges they have selected in order of preference during counselling.
- 2.3.2 राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और राजकीय महाविद्यालयों में ही किया जायेगा।
State reservation policy will be followed for Aided and Government colleges only.
- 2.3.3 सीट आवंटन परिणाम केवल अभ्यर्थी लॉगिन पर उपलब्ध होगा, अन्यत्र नहीं।
Seat allotment result will be available on candidate's login only and no where else.
- 2.3.4 सहायता प्राप्त, सरकारी और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में ई0डब्लू0एस0 आरक्षण का पालन किया जायेगा।
EWS reservation will be followed in Aided, Government and Self Financing Colleges.
- 2.4 चरण 4: अनंतिम आवंटन-सह-पुष्टि-पत्र डाउनलोड किया जाना
Step 4: Provisional Allotment cum Confirmation letter download
- 2.4.1 जिन अभ्यर्थियों को कालेज आवंटित किया गया है, उन्हें बी0एड0 जे0ई0ई0-2022 की वेबसाइट के माध्यम से अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करना होगा।
Candidates who have been allotted college will have to download Provisional Allotment cum Confirmation letter through the B.Ed. J.E.E.- 2022 website.
- 2.4.2 यदि कालेज शुल्क अग्रिम कालेज शुल्क से अधिक है, तो अभ्यर्थियों को अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करने से पहले कालेज आवंटन के तीन दिनों के भीतर शेष राशि का आनलाइन भुगतान करना होगा।
In case the college fee is more than the advance college fee, the candidates will have to pay the balance amount online within three days of college allotment before they can download Provisional Allotment cum Confirmation letter.
- 2.4.3 यदि कालेज शुल्क अग्रिम कालेज शुल्क से कम है तो वे इस अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क की राशि आवंटित कालेज द्वारा अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी।
In case the college fee is less than the advance college fee they can download this provisional Allotment cum Confirmation letter. The excess fee amount would be refunded to the candidate by the allotted college.
- 2.4.4 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा ई0डब्लू0एस0 अभ्यर्थियों को कालेज शुल्क से अधिक होने पर, शेष राशि का भुगतान करना होगा।

काउन्सलिंग दिशा-निर्देश (Counselling Guidelines)

SC, ST & EWS candidates will have to pay the remaining amount of balance fee if the college fee is more than the advance college fee.

2.5 चरण 5 : आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट किया जाना।

Step 5 : Report to allotted college

2.5.1 अभ्यर्थी को आवंटन की तारीख से तीन दिनों के भीतर सभी मूल दस्तावेजों के साथ अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र के साथ आवंटित कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा।

The candidate has to report to allotted college within three days from the date of allotment with all the original documents along with provisional allotment cum confirmation letter.

2.5.2 आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

The original documents of the candidates will be physically verified by the Principal of the allotted college.

2.5.3 यदि अभ्यर्थियों के दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाए जाते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

If the documents of candidates are not found valid by the college authority, his/her candidature shall be cancelled.

2.5.4 रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज

Documents required for reporting.

2.5.4.1 अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति ले जाने की आवश्यकता होगी।

Candidates would need to carry the originals and self attested copy of the following documents

2.5.4.2 महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय वेबसाइट से अनंतिम आवंटन सह पुष्टिकरण पत्र का प्रिन्टआउट।

Printout of the provisional Allotment cum Confirmation letter from M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly Website.

2.5.4.3 अभ्यर्थी के बी0एड0 जे0ई0ई0-2022 के आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड की प्रति।

Copy of Application form, Admit Card and score card of the B.Ed. J.E.E.-2022.

2.5.4.4 जन्म तिथि का प्रमाण : दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र।

Proof of Date of Birth: Class 10th certificate

2.5.4.5 अर्हता परीक्षा तक सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र।

All Mark Sheets and Certificates up to Qualifying Examination.

2.5.4.6 निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में श्रेणी, उप श्रेणी और वेटेज प्रमाण पत्र।

Category, sub category and weightage Certificates in original in the prescribed format

2.5.4.7 सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र।

Original photo ID issued by Government.



काउन्सलिंग दिशा-निर्देश (Counselling Guidelines)

- 2.5.4.8 अभ्यर्थी के पासपोर्ट आकार के दो फोटो।
Two passport sized photographs of candidates.
- 2.5.4.9 सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियाँ।
Copies of all Fees Receipts
3. पूल काउंसलिंग (चक्र- 2)
POOL COUNSELLING (ROUND-2)
- 3.1 पहले राउंड की काउन्सलिंग पूरी होने के बाद कालेजों में रिक्त सीटों को पूल काउन्सलिंग से भरा जाता है।
After the first round of counselling is completed, the vacant seats in colleges are filled by pool counselling
- 3.2 पूल चरण 1: पंजीकरण
Pool Step 1 Registration
- 3.2.1 पूल काउन्सलिंग के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने पहले दौर की काउन्सलिंग में भाग लिया है या जिन्हें निरस्त कर दिया गया है या राउंड 1 में कोई कालेज आवंटित नहीं किया गया है या जो आवंटित सीट पर प्रवेश लेने में विफल रहते हैं।
For pool counselling only those candidates are eligible who have not participated in first round of counselling or those who are rejected or not allotted any college in round 1 or those who fail to take admission against the allotted seat.
- 3.2.1.1 जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में सीट आवंटित की गई थी, लेकिन सीट कन्फर्मेशन फीस का भुगतान नहीं किया, उन्हें पूल काउन्सलिंग (राउंड 2) में भाग लेने पर पूरी फीस रुपये 51,900 (रु0 51250 महाविद्यालय शुल्क एवं रु0 650 काउन्सलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क) पुनः देनी होगी। कालेज की एडवांस फीस रु. 5000 उन्होंने राउंड 1 में भुगतान किया था उसे वापस नहीं किया जाएगा।
Those candidates who were allotted seat in round 1 but did not pay the seat confirmation fee will have to pay full fees *i.e.* Rs. 51,900 (Rs. 51250 as college fee and Rs. 650 as Counselling registration fee) if they participate in the pool counselling (round 2). The advance college fee of Rs. 5000 they had paid in round 1 will not be refunded.
- 3.2.2 पूल काउन्सलिंग की प्रक्रिया पहली काउन्सलिंग की तरह ही है। अभ्यर्थी को पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण शुल्क और पूर्ण कालेज शुल्क का भुगतान करना होगा। तत्पश्चात् विकल्प भरना होगा।
Procedure for pool counselling is the same as that of the first counselling. Candidates have to register, pay the registration fee and full college fee and then fill the choices.
- 3.2.3 अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि वे पासवर्ड भूल गए हैं तो वे दिए गए लिंक के माध्यम से इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
Candidates have to login using their credentials. In case they have forgotten the password they can regenerate it through the link provided.

काउन्सलिंग दिशा-निर्देश (Counselling Guidelines)

- 3.2.4 लॉग इन करने पर उन्हें अपने बैंक खाते का विवरण भरना होगा।
Upon login they have to fill the details of the bank account.
- 3.2.5 2022 में अर्हता परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी जिनका अर्हता परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है उन्हें अपने अंक भरने होंगे और अपनी मार्कशीट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
Candidates appearing in the qualifying examination in 2022 and whose result has been declared have to enter the marks and upload the scanned copy of their mark sheet.
- 3.3 पूल चरण 2 : काउन्सलिंग शुल्क और पूर्ण कॉलेज शुल्क का भुगतान
Pool Step 2 : Counselling fee and Full College fee payment
- 3.3.1 अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग शुल्क के रूप में रुपये 650 व रुपये 51250 पूर्ण कॉलेज शुल्क के रूप में (जो अप्रतिदेय है) जमा करने होंगे। यदि अभ्यर्थी को कालेज आवंटित किया जाता है तो यह यह राशि वापस नहीं की जाएगी।
Counselling fee is Rs. 650.00 which is non refundable. They have to also deposit Rs. 51250.00 as full college fee. This amount will not be refunded if the candidate is allotted a college.
- 3.4 पूल चरण 3 : विकल्प भरना
Pool Step 3 : Choice Filling
- 3.4.1 च्वाइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित विवरण का सत्यापित करना होगा।
Before choice filling the candidates have to verify the following.
- 3.4.2 संस्कृत के लिए विकल्प : यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक के तीनों (3) वर्षों में संस्कृत है और संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश लेना का इच्छुक है तो अभ्यर्थी का हाँ का चयन करना होगा।
Option for Sanskrit : Candidate has to select "Yes" If the candidate has Sanskrit in their all three (3) years of graduation and wants to get admission in Sanskrit colleges.
- 3.4.3 अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में भरे अपने लिंग (Gender) का गलत होने की स्थिति में सही करने कर विकल्प। डिफाल्ट रूप से यह उस विकल्प पर सेट होता है जिसे उन्होंने आनलाइन आवेदन पत्र में भरा है।
Option to correct their gender in case it is incorrect. By default this is set on the option they have filled in the online application form.
- 3.4.4 काउन्सलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार विकल्प भरने होंगे।
Candidates registered for counselling have to fill their choices according to their preferences.
- 3.4.5 अभ्यर्थी जितने चाहें विकल्प दे सकते हैं।
Candidates can give as many choices as they want.
- 3.4.6 निचली रैंक के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिक विकल्प दें।
Lower rank candidates are advised to give more choices to avoid rejection in allotment.

काउन्सलिंग दिशा-निर्देश (Counselling Guidelines)

- 3.4.7 अंतिम सबमिशन तक विकल्पों का पूर्वावलोकन और पुनर्व्यवस्थापन किया जा सकता है।
Choices can be previewed and rearranged any number of times till final submission.
- 3.4.8 विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉग-आउट करने से पहले इन विकल्पों को सेव करते रहना चाहिए। जो डेटा सेव नहीं किया गया है वह समाप्त हो जायेगा और उसे पुनः भरना पड़ेगा।
Choices can be filled in multiple sessions. There is option to save these choices before logging out. Data not saved will be lost.
- 3.4.9 अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम हैं और एक बार लॉक होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। इस प्रकार, अपने स्वयं के हित में, अभ्यर्थियों को वरीयता के आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक संख्या में कालेज के विकल्प को भरना होगा।
The choices filled by the candidate are final and cannot be changed once locked. Thus in their own interest, candidates must fill in a sufficiently large number of choices of college in required order of preference.
- 3.4.10 यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प जमा कर दिया है, लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक लॉक नहीं किया गया है, तो यह सीट आवंटन से पहले स्वतः लॉक हो जाएगा।
If a candidate has submitted the choices but not locked after last date of choice filling is over, it will automatically be locked before seat allotment.
- 3.5 पूल चरण 4: कॉलेज आवंटन**
Pool Step 4: College Allotment
- 3.5.1 कालेज आवंटन नियमानुसार अभ्यर्थी के राज्य रैंक (State Rank) के साथ-साथ काउन्सलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने गए कालेजों के आधार पर किया जाएगा।
College allotment will be done strictly on the basis of state rank of the candidate as well as the colleges they have selected in order of preference during counselling.
- 3.5.2 राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और सरकारी कालेजों में ही किया जायेगा।
State reservation policy will be followed on Aided and Government colleges only.
- 3.5.3 सहायता प्राप्त, सरकारी और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में ई0डब्लू0एस0 आरक्षण का पालन किया जायेगा।
EWS reservation will be followed in Aided, Government and Self Financing Colleges.
- 3.5.4 सीट आवंटन परिणाम केवल अभ्यर्थी लॉगिन पर उपलब्ध होगा, अन्यत्र नहीं।
Seat allotment result will be available on candidate login.
- 3.6 पूल चरण 5: अनंतिम आवंटन-सह-पुष्टि-पत्र डाउनलोड किया जाना**
Pool Step 5: Provisional Allotment cum Confirmation letter download
- 3.6.1 जिन अभ्यर्थियों को कालेज आवंटित किया गया है, उन्हें बी0एड0 जे0ई0ई0-2022 की वेबसाइट के माध्यम से अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करना होगा।

काउन्सलिंग दिशा-निर्देश (Counselling Guidelines)

Candidates who have been allotted college will have to download Provisional Allotment cum Confirmation letter through the B.Ed. J.E.E.-2022 website.

3.6.2 यदि कोई अभ्यर्थी, जिसे महाविद्यालय आवंटित किया गया है, महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं करता है तो महाविद्यालय की 51250.00 रुपये की फीस वापस नहीं की जायेगी।

If any candidate, to whom college is allotted does not report to college then the college fee of rupees 51250.00 will not be refunded.

3.6.3 यदि पूल काउन्सलिंग में किसी अभ्यर्थी को कोई कालेज आवंटित नहीं किया जाता है तो कालेज की फीस रुपये 51250.00 उसके बैंक खाते में वापस कर दिया जायगा जिसका विवरण अभ्यर्थी द्वारा काउन्सलिंग पंजीकरण के समय दिया गया है।

If no college is allotted to a candidate in pool counselling then college fee of Rs. 51250.00 will be refunded to his/her bank account whose details are given by the candidate at the time of counselling registration.

3.7 चरण 6 : आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट किया जाना।

Step 6 : Report to allotted college

3.7.1 अभ्यर्थी को आवंटन सह पुष्टि पत्र के साथ सभी मूल दस्तावेजों के साथ आवंटन की तारीख से तीन दिनों के भीतर आवंटित कालेज को रिपोर्ट करना होगा।

The candidate has to report to allotted college within Three days from the date of allotment with all the original documents along with allotment cum confirmation letter.

3.7.2 आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

The original documents of the candidates will be physically verified by the Principal of the allotted college.

3.7.3 यदि अभ्यर्थियों के दस्तावेज कालेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाए जाते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

If the documents of candidates are not found valid by the college authority, his/her candidature shall be cancelled.

3.8 रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज

Documents required for reporting

3.8.1 अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति ले जाने की आवश्यकता होगी।

Candidates would need to carry the originals and self attested copy of the following documents.

3.8.2 महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली वेबसाइट से अनंतिम आवंटन सह पुष्टिकरण पत्र का प्रिन्टआउट।

Printout of the provisional Allotment cum Confirmation letter from Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly Portal.

3.8.3 बी0एड0 जे0ई0ई0-2022 के आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड की प्रति।

Copy of Application form, Admit Card and score card of the B.Ed. J.E.E.-2022



काउन्सलिंग दिशा-निर्देश (Counselling Guidelines)

- 3.8.4 जन्म तिथि का प्रमाण : दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र।
Proof of Date of Birth : Class 10th certificate.
- 3.8.5 अर्हता परीक्षा तक सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र।
All Mark Sheets and Certificates upto Qualifying Examination.
- 3.8.6 निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में श्रेणी, उप श्रेणी और वेटेज प्रमाण पत्र।
Category, sub category and weightage Certificates in original in the prescribed format
- 3.8.7 सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र।
Original photo ID issued by Government
- 3.8.8 अभ्यर्थी के पासपोर्ट आकार के दो फोटो।
Two passport sized photographs
- 3.8.9 सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियाँ।
Copies of all Fees Receipts
- 4. सीधा प्रवेश (चक्र-3)
DIRECT ADMISSION (ROUND 3)**
- 4.1 काउन्सलिंग का यह चक्र कालेज स्तर पर किया जाता है। सीधा प्रवेश में भाग लेने वाले कालेजों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की वेबसाइट पर दिए जायेंगे।
This round of counselling is to be done at the college level. Detailed guidelines for the process to be adopted by colleges participating in the process will be given soon on the Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly website.
- 4.2 केवल वही अभ्यर्थी काउन्सलिंग के इस दौर में भाग ले सकते हैं जिनके पास वैध राज्य रैंक है।
Only those candidates can take part in this round of counselling who have a valid state rank.
- 4.3 अभ्यर्थियों को किसी भी कालेज में प्रवेश तभी दिया जा सकता है जब उस कालेज में प्रथम और पूल काउन्सलिंग के बाद सीटें खाली हों।
Candidates can be admitted to any college only if seats are vacant in that college after the first and pool counselling.
- 4.4 निम्नलिखित अभ्यर्थी सीधे प्रवेश के लिए पात्र हैं
The following candidates are eligible for direct admission
- 4.5 जिन्हें प्रथम काउन्सलिंग में किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है।
Those who have not been admitted to any college in first counselling.
- 4.6 जिन्हें पूल काउन्सलिंग में किसी कालेज में प्रवेश नहीं दिया गया है।
Those who have not been admitted to any college in pool counselling.
- 4.7 जिन्होंने काउन्सलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है।
Those who have not participated in the counselling process.
- 4.8 कालेज महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की वेबसाइट से अभ्यर्थी के विवरण का सत्यापन करेगा और नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश देगा।
The college will verify the candidate's details from Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly website and give direct admission to candidates as per the rules.

काउन्सलिंग दिशा-निर्देश (Counselling Guidelines)

- 4.9 अभ्यर्थी का सत्यापन बी0एड0 जे0ई0ई0-2022 परामर्श पोर्टल पर अभ्यर्थी के पंजीकृत और वैकल्पिक मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करके करना होगा।
Verification of candidate will have to be done by entering the OTP sent to the registered and alternate mobile numbers of the candidate on the B.Ed. J.E.E.-2022 counselling portal
- 4.10 सीधे प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग शुल्क रुपये 650.00 का भुगतान करना होगा।
Candidates will have to pay the counselling fee of Rs. 650.00 for participating in the direct admission process.
- 4.11 शुल्क कालेज स्तर पर जमा किया जाएगा।
Fee will deposited at the college level.
5. **अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश (चक्र-4)**
DIRECT ADMISSION ON MINORITY SEATS (ROUND 4)
- 5.1 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर अल्पसंख्यक सीटों पर प्रवेश का अधिकार होता है किन्तु प्रायः अनेक अल्पसंख्यक महाविद्यालय स्वयं की परीक्षा आयोजित न करके संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची से चयन करके अपनी प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करते हैं तथा बाद में प्रवेशित छात्रों की सूची को सत्यापित करने हेतु प्रेषित करते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक समय तथा श्रम लगता है। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा अल्पसंख्यक संस्थानों की सुविधा हेतु काउन्सलिंग का एक अतिरिक्त चक्र प्रस्तावित किया जा रहा है।
Minority colleges have the right of admission to minority seats by conducting their own entrance examination, but often many minority colleges do not conduct their own examination and complete their admission process by admitting students from the merit list of candidates who have appeared in the joint entrance examination. Then they send the list of admitted students for verification. This process takes a lot of time and labor. To facilitate the process and the minority institutions, an additional round of counseling is being proposed.
- 5.2 अल्पसंख्यक संस्थान पहले ही अपनी गैर अल्पसंख्यक सीटों (कालेज की शेष 50% सीटें) के लिए नियमित काउन्सलिंग (राउंड-1, राउंड-2 और राउंड-3) में भाग ले चुके हैं।
Minority institutions have already participated in the regular counselling (round 1, round 2 and round 3) for their non minority seats (50% seats in the college).
- 5.3 काउन्सलिंग का यह चक्र सिर्फ अल्पसंख्यक सीटों के लिए ही होगा (कालेज की शेष 50% सीटें)। अगर अल्पसंख्यक संस्थान चाहते हैं तो काउन्सलिंग के इस दौर के माध्यम से अल्पसंख्यक सीटों को भर सकते हैं।
This round of counselling will be for minority seats only (remaining 50% seats of college). Minority institutions can fill the minority seats through this round of counselling if they want.

काउन्सलिंग दिशा-निर्देश (Counselling Guidelines)

- 5.4 काउन्सलिंग का यह चक्र अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अनिवार्य नहीं है। केवल वे अल्पसंख्यक संस्थान जो बी0एड0 जे0ई0ई0-2022 की मेरिट सूची के अभ्यर्थियों से अपनी अल्पसंख्यक सीटें भरना चाहते हैं भाग ले सकते हैं।
This round of counselling is not compulsory for the minority institutions. Only those minority institutions who wish to fill their minority seats through candidates of the merit list of B.Ed. J.E.E.-2022 need to participate.
- 5.5 अल्पसंख्यक संस्थान बी0एड0 की शर्तों को पूरा कर उस विश्वविद्यालय जिससे वह सम्बद्ध हैं, की सहमति से किसी अन्य प्रक्रिया से अल्पसंख्यक सीटों पर अपना प्रवेश करा सकते हैं। इस स्थिति में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा प्रवेशित छात्रों की सूची का सत्यापन नहीं किया जाएगा।
Minority colleges can also carry out their admissions on minority seats by any other process by fulfilling the conditions of B.Ed. admissions with the consent of the University to which they are affiliated. In this case the list of admitted students will not be verified by the Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly.
- 5.6 काउन्सलिंग का यह चक्र कालेज स्तर पर किया जाता है। सीधा प्रवेश में भाग लेने वाले कालेज द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की वेबसाइट पर दिए जायेंगे।
This round of counselling is done at the college level. Detailed guidelines for the process to be adopted by colleges participating in the process will be given soon on the Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly website.
- 5.7 अल्पसंख्यक दर्जे वाले कालेजों में नियमित सीटों पर प्रवेश काउन्सलिंग प्रक्रिया के राउंड-1, राउंड-2 और राउंड-3 के दौरान किया जाएगा। राउंड-4 में केवल अल्पसंख्यक सीटों पर ही दाखिले होंगे।
Admissions in regular seats in colleges with minority status will be done during round 1, round 2 and round 3 of the counselling process. In round 4 admissions will be carried out on minority seats only.
- 5.8 केवल वही अभ्यर्थी काउन्सलिंग के इस दौर में भाग ले सकते हैं जिनके पास वैध राज्य रैंक है।
Only those candidates can take part in this round of counselling who possesses a valid state rank.
- 5.9 अभ्यर्थियों को किसी भी अल्पसंख्यक कालेज की अल्पसंख्यक सीटों पर ही प्रवेश दिया जा सकता है।
Candidates can be admitted to any college on minority seats only.
- 5.10 जिन अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग के किसी दौर में प्रवेश नहीं दिया गया है, केवल वे ही अल्पसंख्यक सीटों पर प्रवेश के पात्र हैं।
Only those candidates who have not been admitted in any round of counselling are eligible to be admitted on minority seats.
- 5.11 कालेज महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की वेबसाइट से अभ्यर्थी के विवरण का सत्यापन करेगा और नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश देगा।
The college will verify the candidate's details from the Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly website and give direct admission to candidates as per the rules.



काउन्सलिंग दिशा-निर्देश (Counselling Guidelines)

- 5.12 अभ्यर्थी का सत्यापन बी0एड0 जे0ई0ई0-2022 परामर्श पोर्टल पर अभ्यर्थी के पंजीकृत और वैकल्पिक मोबाइल नंबरों पर भेजे गए ओ0टी0पी0 को दर्ज करके करना होगा।
Verification of candidate will have to be done by entering the OTP sent to the registered and alternate mobile numbers of the candidate on the B.Ed. JEE-2022 counselling portal
- 5.13 अल्पसंख्यक सीटों पर सीधे प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को काउन्सलिंग शुल्क रुपये 650.00 का भुगतान करना होगा।
Candidates will have to pay the counselling fee of Rs. 650.00 for participating in the admission process on minority seats.
- 5.14 शुल्क कालेज स्तर पर जमा किया जाएगा।
Fee will be deposited at the college level.
6. काउन्सलिंग के विभिन्न चरणों जमा किया जाने वाला शुल्क
Fee to be submitted at various stages of counseling
- 6.1 प्रथम काउन्सलिंग : फेज-1, 2, 3 एवं 4 (चक्र-1)
First counseling : Phase – 1, 2, 3 & 4 (Round 1)

<u>Head</u>	<u>Amount (Rs.)</u>	<u>Remark</u>
6.1.1 काउन्सलिंग शुल्क Counselling Fee	650.00	<ul style="list-style-type: none">काउन्सलिंग शुल्क नॉन रिफण्डेबल है। Counselling Fee is non refundable.
6.1.2 अग्रिम कालेज शुल्क Advance college Fee	5000.00	<ul style="list-style-type: none">यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं की जाती है तो अग्रिम कालेज शुल्क उनके द्वारा दिये गये विवरण में दिये गये खाते में वापस कर दिये जायेंगे। यह राशि पूल काउन्सलिंग में समायोजित नहीं की जाएगी। In case the candidate is not allotted a seat the advance college fee would be refunded into the account details provided by them. This amount will not be adjusted in the pool counseling.यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है तो वह सीट कन्फर्मेशन फीस का भुगतान करता है तो यह अग्रिम राशि, कालेज शुल्क में समायोजित की जाएगी। If candidate is allotted seat and he/she pays the seat confirmation fee, this amount will be adjusted in the college fee.यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित हो जाती है

Disclaimer: These guidelines are tentative and only for making the candidates aware about the changes in the process. There might be some modifications which would be given along with the counselling schedule. All the legal matters pertaining to the admission shall be subject to Bareilly Judicature only.

काउन्सलिंग दिशा-निर्देश (Counselling Guidelines)

			<p>लेकिन वह सीट कन्फर्मेशन फीस का भुगतान नहीं करता है तो अग्रिम कालेज शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।</p> <p>If the candidate is allotted a seat but he/she does not pay the seat confirmation fee, the advance college fee will not be refunded.</p> <ul style="list-style-type: none"> यदि अग्रिम महाविद्यालय शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि आवंटित महाविद्यालय से वापस की जाएगी। <p>If the advance college fee is more than the fee of the allotted colleges the excess amount will be refunded from the allotted college.</p>
6.1.3	सीट कन्फर्मेशन फीस Seat confirmation Fee	--	<ul style="list-style-type: none"> आवंटित कालेज की फीस के अनुसार भुगतान किया जाना है। <p>To be paid as per fee of allotted college.</p>

6.2 पूल काउन्सलिंग (चक्र-2)
Pool counselling (Round 2)

	<u>Head</u>	<u>Amount (Rs.)</u>	<u>Remark</u>
6.2.1	काउन्सलिंग शुल्क Counselling Fee	650.00	<ul style="list-style-type: none"> काउन्सलिंग शुल्क नॉन रिफण्डेबल है। <p>Counselling Fee is non refundable.</p>
6.2.2	अग्रिम कालेज शुल्क Advance college Fee	51,250.00	<ul style="list-style-type: none"> जिन अभ्यर्थियों को राउण्ड-1 में सीट आवंटित की गयी थी, लेकिन सीट कन्फर्मेशन फीस का भुगतान नहीं किया गया था, उन्हें पूल काउन्सलिंग (राउण्ड 2) में भाग लेने पर पूरी फीस देनी होगी। कालेज की एडवांस फीस रुपये 5,000 जिसका उन्होंने राउण्ड-1 में भुगतान किया था, समायोजित नहीं की जायेगी। <p>Those candidates who were allotted seat in round 1 but did not pay the seat confirmation fee will have to pay full fees if they participate in the pool counseling (Round 2). The advance college fee of Rs. 5000 they had paid in round 1 will not be adjusted.</p>

Disclaimer: These guidelines are tentative and only for making the candidates aware about the changes in the process. There might be some modifications which would be given along with the counselling schedule. All the legal matters pertaining to the admission shall be subject to Bareilly Judicature only.

काउन्सलिंग दिशा-निर्देश (Counselling Guidelines)

			<ul style="list-style-type: none"> यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो कालेज की अग्रिम फीस उनके द्वारा विवरण में दिये गये खाते में वापस कर दी जायेगी। The advance college fee paid in this round will be refunded if the candidate is not allotted a college. यदि अभ्यर्थी को कालेज आवंटित किया जाता है तो यह राशि वापस नहीं की जाएगी। This amount will not be refunded if the candidates is allotted a college.
--	--	--	---

6.3 सीधा प्रवेश (चक्र-3)
Direct admission (Round 3)

	<u>Head</u>	<u>Amount (Rs.)</u>	<u>Remark</u>
6.3.1	काउन्सलिंग शुल्क Counselling Fee	650.00	<ul style="list-style-type: none"> काउन्सलिंग शुल्क नॉन रिफण्डेबल है। Counselling Fee is non refundable.
6.3.2	अग्रिम कालेज शुल्क Advance college Fee	--	<ul style="list-style-type: none"> सीधे प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश शुल्क का भुगतान कालेज में करना है। Admission fee has to be paid to the college in direct admission process.

6.4 अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश (चक्र-4)
Direct admission on Minority seats (Round 4)

	<u>Head</u>	<u>Amount (Rs.)</u>	<u>Remark</u>
6.4.1	काउन्सलिंग शुल्क Counselling Fee	650.00	<ul style="list-style-type: none"> काउन्सलिंग शुल्क नॉन रिफण्डेबल है। Counselling Fee is non refundable.
6.4.2	अग्रिम कालेज शुल्क Advance college Fee	--	<ul style="list-style-type: none"> सीधे प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश शुल्क का भुगतान कालेज में करना है। Admission fee has to be paid to the college in direct admission process.

* काउन्सलिंग के प्रत्येक चक्र के लिए अलग काउन्सलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा।

*Separate counseling fee has to be paid for each round of counseling.